प्रेस नोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 29.04.2025

"थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना मे कॉलोनी दिलाने के नाम धोखाधड़ी व थैले से पैसे चुराने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व मे थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना मे कालोनी दिलाने के नाम धोखाधड़ी व थैले से पैसे चुराने के पंजीकृत अभियोग मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.04.2025 को वादिनी श्रीमती ममता देवी पत्नी स्व0 लालाराम निवासी ग्राम बुझिया थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर तहरीर देकर अभियुक्त नूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद उमर निवासी ग्राम कैहमारिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा धोखाधडी करके प्रधानमन्त्री आवास योजना मे कालोनी दिलाने के नाम पर 3000 रु0 ले लेने तथा थैले मे रखे 7000 रुपये को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था।

दिनांक 28.04.2025 को थाना पुवायाँ पुलिस को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि थाना पुवायां में आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त नूर मोहम्मद ग्राम धारा मे बने बाईपास अण्डर पास के पास कही किसी से मिलने की इन्तजार मे खडा है अगर जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। मूखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से आगे बढकर घेरकर इस व्यक्ति को ग्राम धारा बाईपास अण्डर पास पर ही पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम नूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद उमर उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कैहमारिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर बताया जिसके जामातलाशी से पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से 7000 रुपये बरामद हुए जिनके बारे मे पूछने पर बताया कि मैने दिनांक 27/04/2025 को ममता देवी पत्नी लालाराम निवासी ग्राम बुझिया थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के थैले से बिना बताये चोरी कर लिये थे और उपरोक्त धनराशि के अलावा 3000 रुपये रामसेवक पुत्र बाबूराम निवासी कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर के खाते मे प्रधानमंत्री आवास योजना मे कालोनी दिलाने के नाम पर फोन पे के माध्यम से सौरभ कम्पयूटर एंड कोरियर सर्विस खुटार रोड पुवायां की दुकान से कराये थे अभियुक्त को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए समय करीब 18.50 बजे दिनांक 28.04.2025 को हिरासत पुलिस लिया गया तथा अभियोग मे धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गयी। अभियुक्त को थाना पुवायाँ पर लाकर बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

नूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद उमर उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कैहमारिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोगः –

मु0अ0स0 343/2025 धारा 303(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

अपराधिक इतिहासः–

1.मु0अ0सं0 760/2024 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

2.मु0अ0सं0 343/2025 धारा 303(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण –

1. 7000 रुपये नकद
2. एक अदद मोटरसाईकिल सीज शुदा अन्तर्गत धारा 207 MV एक्ट

पूछताछ विवरणः–

अभियुक्त नूर मोहम्मद ने पूछने पर बताया कि मैने दिनांक 27/04/2025 को ममता देवी पत्नी लालाराम निवासी ग्राम बुझिया थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के थैले से बिना बताये 7000 रुपये चोरी कर लिये थे और इसके अलावा 3000 रुपये रामसेवक पुत्र बाबूराम निवासी कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर के खाते मे प्रधानमंत्री आवास योजना मे कालोनी दिलाने के नाम पर फोन पे के माध्यम से सौरभ कम्पयूटर एंड कोरियर सर्विस खुटार रोड पुवायां की दुकान से कराये थे।

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 कपिल देव थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 1947 सोम कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2053 अमित कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर